कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य / माध्यमिक / शाला दर्पण / 60313 / 19 / 09   दिनांकः– 14.10.2019

समस्त संयुक्त निदेशक संभाग मुख्यालय
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
समस्त, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषयः– **राजीव गांधी कैरियर गाईडेंस पोर्टल पर विद्यार्थियों के शतप्रतिशत लॉगिन बाबत्।**
प्रसंगः– अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रांक रा.स्कूल शि.प. / जय / RGCGCC / 2019 / 817–18 दिनांक 04.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैरियर निर्माण से सम्बन्धित विविध जानकारियॉ उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से "राजीव गांधी करियर गाईडेंस एवं काउंसलिंग सैल (RGCGCC)" का राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठन किया जा चुका है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा देश के प्रथम कैरियर गाईडेंस पोर्टल का लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस ऑनलाईन पोर्टल से कक्षा 9 से 12 तक के बालक–बालिकाओं के कैरियर निर्माण, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगार पाठ्यक्रम एवं विविध छात्रवृतियों के बारे में उचित मार्गदर्शन तथा अवसर की जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो रही है।

राजीव गांधी कैरियर गाईडेन्स पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शतप्रतिशत लॉगिन सुनिश्चित कर लाभान्वित करवाया जाना है। इसे हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है लेकिन पोर्टल के लोकार्पण के 6 माह बाद भी विद्यार्थियों की लॉगिन प्रगति अति न्यून है। अतः एक माह में लक्ष्य निर्धारित कर शतप्रतिशत विद्यार्थियों को इस पोर्टल पर लॉगिन करवाकर लाभान्वित किया जावें। इस हेतु नियमित प्रार्थना सभा कार्यक्रम, बालसभा कार्यक्रम एवं राज्य / जिला / ब्लॉक एवं विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमों में इसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करावें। इस हेतु आप द्वारा किए गए प्रयासों की विस्तृत रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय में अविलंब भिजवाये।

जिला शिक्षा अधिकारी
(शाला दर्पण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् शासन उप सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. उपनिदेशक, शाला दर्पण जयपुर।

जिला शिक्षा अधिकारी
(शाला दर्पण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर